


1	प्रधानाध्यापक, रामावि डहरवाला बास, रामगढ, अलवर	श्रीमती कल्पना शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि साहडोली, रामगढ, अलवर	रामगढ
2	प्रधानाचार्य, राआउमावि सांवलता, रानी, पाली	श्री विजेन्द्र कुमार सोनगरा, प्रधानाचार्य, राउमावि जीवन्द कला, पाली	रानी
3	प्रधानाध्यापक, रामावि लिखमीसर दिखणादा, बीकानेर	श्री रामकिशोर यादव, व्या. राउमावि लिखमीसर दिखणादा, बीकानेर	श्रीडूंगरगढ
4	प्रधानाचार्य, राउमावि भैरूपुरा, सीलवानी, सूरतगढ, श्रीगंगानगर	श्री कान्हाराम स्वामी, व्या. राउमावि भैरूपुरा, सीलवानी, सूरतगढ, श्रीगंगानगर	सूरतगढ
5	प्रधानाचार्य, राउमावि राणावास, पाली	श्री छगनलाल मौर्य, व्या. राउमावि राणावास, पाली	मारवाड़ जंक्शन
6	प्रधानाध्यापक, रामावि गजनाई, सोजत, पाली	श्री सकूरदीन, प्रधानाचार्य, राउमावि गुड़ाबीजा, पाली	सोजत
7	प्रधानाचार्य, राआउमावि सिंवरों की ढाणी, स्वरूपसर, पांचू, बीकानेर	श्री बजरंग, व्या. राआउमावि सिंवरों की ढाणी, स्वरूपसर, पांचू, बीकानेर	नोखा
8	प्रधानाध्यापक, रामावि सिरसला, मकराना, नागौर	श्री प्रमोद कुमार बेनीवाल, प्रधानाचार्य, राउमावि बेसरोली, मकराना, नागौर	मकराना



 वित्तीय सलाहकार,
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
 बीकानेर

दिनांक: 04.04.2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/18-19/

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।


 वरिष्ठ लेखाधिकारी, 4/4/19
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
 बीकानेर


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

इस कार्यालय द्वारा निम्नांकित विद्यालयों के लिए आहरण वितरण अधिकार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 03 (ए) के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये थे, में निम्नांकित आंशिक संशोधन किया जाता है :-


क्र.सं.	जारी आदेश की दिनांक	जारी आदेश की क्र.सं	जारी आदेश की कॉलम संख्या	संशोधन
1	29.03.19 (2)	3	3	श्री बलवेश कुमार धीना, कार्यक्रम अधिकारी, समसा, सीकर के स्थान पर श्री बबलेश कुमार धीवा, कार्यक्रम अधिकारी, समसा, सीकर संशोधित पढा जावे ।

शेष विवरण मूल आदेशानुसार यथावत रहेंगे ।


वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/संशोधन/18-19/ दिनांक : 04.04.2019
प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।


वरिष्ठ लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर